भारत सरकार
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
पशुपालन और डेयरी विभाग
लोकसभा
अतारांकित प्रश्न संख्या- 1412
दिनांक 29 जुलाई, 2025 के लिए प्रश्न

दूध में प्रसंस्करण मार्जिन

1412. डॉ. अमोल रामसिंग कोल्हेः

क्या **मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि देश में डेयरी किसानों को लगभग 32 रु प्रति लीटर राशि मिलती है, जबकि उपभोक्ता 60 रु या उससे अधिक का भुगतान करते हैं, जिससे मूल्य का 87.5% तक अंतर बनता है;

(ख) क्या सरकार डेयरी किसानों और उपभोक्ताओं के बीच निजी डेयरियों और बिचौलियों के मार्जिन की निगरानी कर रही है;

(ग) क्या सरकार ने बढ़े हुए प्रसंस्करण मार्जिन, छेड़छाड़ किए गए मिल्कोमीटर और वैश्विक स्तर पर दूध पाउडर की कीमतों में गिरावट से किसानों की आय पर पड़ने वाले लाभ की कमी के प्रभाव का आकलन किया है;

(घ) क्या दूध खरीद के मूल्य या गुणवत्ता विनियमन के लिए कोई केंद्रीय तंत्र मौजूद है और यदि नहीं, तो क्या सरकार निजी डेयरियों की निगरानी को मजबूत करने की योजना बना रही है;

(ङ) क्या सरकार को निजी संघों द्वारा न्यूनतम खरीद मूल्यों के उल्लंघन के बारे में जानकारी है और क्या ऐसी प्रथाओं को रोकने के लिए नीतिगत दिशानिर्देश बनाने का प्रस्ताव है; और

(च) क्या सरकार के पास राष्ट्रीय दूध मूल्य निर्धारण ढांचा या बोर्ड स्थापित करने और मिलावट की जाँच करने के संबंध में प्रवर्तन संबंधी दिशानिर्देश जारी करने और मूल्य अनुपालन हेतु कोई प्रस्ताव है?

उत्तर
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री
(प्रो.एस.पी. सिंह बघेल)

(क) पशुपालनऔर डेयरी विभाग (DAHD), भारत सरकार देश में दूध की स्थिति की समीक्षा करने के लिए राज्य दूध परिसंघों/ हितधारकों के परामर्श से नियमित रूप से देश में दूध की स्थिति की निगरानी करती है। राज्य दूध परिसंघ/ संघों द्वारा प्रदान की गई दूध स्थिति रिपोर्ट के अनुसार, जून 2025 के महीने के दौरान किसानों को भुगतान किया गया दूध का औसत खरीद मूल्य, 6% वसा और 9% सॉलिड-नॉट-फैट (SNF) युक्त दूध के लिए लगभग 47.70 रुपये प्रति किलोग्राम था और 6% वसा और 9% SNF युक्त दूध का बिक्री मूल्य 65.04 रुपये प्रति लीटर है, जिसका अर्थ है कि खरीद मूल्य के संदर्भ में उपभोक्ता मूल्य का लगभग 73% सीधे किसानों को वापस कर दिया जाता है।
(ख) डीएएचडी देश में दूध की खरीद और बिक्री की कीमतों को विनियमित नहीं करता है। दूध की कीमतें सहकारी और निजी डेयरियों द्वारा उनके उत्पादन की लागत, डेयरी वस्तुओं (सफेद मक्खन, स्किम्ड मिल्क पाउडर (SMP) आदि) के स्टॉक तथा घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रचलित बाजार की शक्तियों के आधार पर तय की जाती हैं।
(ग) उपर्युक्त (क) और (ख) के संदर्भ में प्रश्न नहीं उठता।
(घ) से (ड़) उपर्युक्त (क) और (ख) के संदर्भ में दूध की खरीद और दूध की कीमत के संबंध में प्रश्न नहीं उठता। जहां तक दूध की गुणवत्ता का संबंध है, दूध और दूध उत्पादों के लिए खाद्य सुरक्षा मानक, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के दायरे में आते हैं।

****